Seventeenth Loksabha

>

Title: Need to change law for seized vehicles carrying goods and waiting long for disposal of cases in trials.

श्री सुशील कुमार सिंह (औरंगाबाद): सभापति महोदय, आज मैं जिस विषय को उठाने जा रहा हूं, वह विषय किसी क्षेत्र विशेष का नहीं है और न ही किसी पार्टी से संबंधित है । यह राष्ट्रीय महत्व का विषय है, इसलिए मैं एक-दो मिनट ज्यादा समय ले लूं, तो मैं आसन से संरक्षण चाहूंगा ।

महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि देश के विभिन्न थानों में या जो एनफोर्समेंट एजेंसियां हैं, जैसे वन विभाग एवं अन्य विभागों में हैं । बहुत सारी ऐसी चीजें, विभिन्न मुकदमों के तहत एग्जिबिट के रूप में जब्त है, वे सीज्ड हैं ।

मुकदमों की सुनवाई में, उनके फैसले आने में देरी होती है, इसमें बीसों साल लग जाते हैं । इसका नतीजा यह होता है कि जो वस्तु जिस मूल्य की होती है, जिस कीमत की होती है, अगर उसकी कीमत लाखों रुपए में है, तो वह सड़-गलकर, जंग खाकर बर्बाद हो जाती है और उसकी कीमत शून्य हो जाती है । जब मुकदमे का फैसला आता है, तो उस सामान की कीमत ज़ीरो हो जाती है । जैसे कोई गाड़ी पकड़ी जाती है...(व्यवधान) महोदय, यह राष्ट्रीय महत्व का विषय है । यह कोई व्यक्तिगत विषय नहीं है ।

जैसे सीमेंट, लोहा, अनाज, गाड़ियाँ आदि जब्त होती हैं ।

माननीय सभापति : उदाहरण देने की आवश्यकता नहीं है । आप आगे बोलिए ।

श्री सुशील कुमार सिंह : मैं यह कहना चाहता हूं कि कानून में जो अड़चन है, जो दिक्कत है, उसके कारण ये चीजें बर्बाद होती हैं और इससे राष्ट्रीय क्षति होती है ।

मैं आपके माध्यम से आदरणीय प्रधानमंत्री जी और माननीय कानून मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं कि जब हमारी सरकार ने 40 से अधिक अनावश्यक कानूनों को खत्म किया है, तो इस कानून में भी संशोधन किया जाए, इसमें जो अनावश्यक प्रावधान हैं, उनको खत्म किए जाएं । जो भी सामान जब्त हैं, वे तत्काल रिलीज हों, उनका उपयोग हो जाए । मुकदमें में जो भी निर्णय होता है, वह तो सबको मान्य होता है । इससे राष्ट्रीय क्षति नहीं होगी और जो गाड़ियाँ जब्त होने के कारण स्थान घेरती हैं, उनका भी निपटारा होगा ।